

880

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



60

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9 FEB 2013 C 129948
बतौर
मुख्य अधिकारी

38930001

1870



1000 + 100 + 200
- 101201



विलेख विकास अनुबन्ध (दिवलपर डीड)

राम प्रसाद नौर्य पुत्र स्व० परसोत्तम निवासी मकान नम्बर एन-10/59

ए-1, लखरांव, ककरमत्ता, डी०एल०डब्ल्यू०, वार्ड नगवां, जिला वाराणसी

.....प्रथमपक्ष

// व //



अधीन राम प्रसाद नौर्य

अधीन



निराले 152



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

C 129947

रूद्रांश बिल्डर एण्ड डेवलपर्स स्थित सी-33/58डी-2ए, छित्तपुर, सिमरा,
वाराणसी जरिये पार्टनर अनिल प्रसाद सिंह पुत्र स्व० श्री कैलाश नाथ सिंह
निवासी सी-21/98बी, मोठल्ला पिशाध मोघन (महामण्डल नगर), हल्का
चेतगंज, शहर वाराणसी व शाश्वत् उपाध्याय पुत्र श्री ओ०एन० उपाध्याय
निवासी लेन नम्बर-1, प्लॉट नम्बर- 180, श्रीराम नगर कालोनी
(बजरडीहा), हल्का नगवां, शहर वाराणसी

.....द्वितीयपक्ष

अ० अ० रामप्रसाद सिंह

अ० अ० अ०

अ० अ० अ०

राज केशव


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



3

व

लालबहादुर पुत्र रामप्रसाद मौर्य निवासी मकान नम्बर एन-10/59 ए-1,
लखनऊ, ककरमत्ता, डी0एल0ठण्यू0, वार्ड नगवां, जिला वाराणसी

..... तृतीयपक्ष/पुष्टिकर्ता

विदित हो कि आराजी नम्बर 445 रकबा 5440 वर्गफीट स्थित
मौजा ककरमत्ता, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला
वाराणसी का तनहां मालिक प्रथमपक्ष है, जो उसे आपसी बंटवारा में तनहां
प्राप्त हुई है। मूल खातेदारन अपने-अपने अंश पर मालिकाना काबिज
दखील है। किसी खातेदार का किसी दूसरे खातेदार के अंश से कोई वास्ता
सरोकार नहीं है तथा हम प्रथमपक्ष उपरोक्त जाचदाद पर बतौर मालिक
काबिज दखील रहकर उसका हर तरह से उपयोग करता बला आ रहा है।

रामप्रसाद मौर्य

Witness


Signature

वार्ड नगवां

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



C 129945

4

अतः जायदाद मजकूर से प्रथमपक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का वास्ता व सरोकार नहीं है। मौजूदा समय में प्रथमपक्ष के पास आर्थिक क्षमता नहीं है कि वे जायदाद मजकूर बशकल खुली भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण आदि कर सकें। द्वितीयपक्ष जिनका एकल रूप से व अन्य बिल्डरों के साथ मिलकर टेके व डेवलपर्स अनुबन्ध के आधार पर आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण का कार्य करना व खरीद फरोख्त करना आदि है, से प्रथमपक्ष ने इस्तेदुवा किया कि द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष की जमीन पर अपने खर्च से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मान्य स्वीकृत नक्शों के अनुरूप आवासीय भवन का निर्माण करावे एवं बदले में निर्मित अनिर्मित क्षेत्रों में अपने 58 प्रतिशत के हिस्से का पूर्ण भाग या तो रख ले या अपने नामिनी या किसी अन्य के हक में अपने-अपने हिस्से का बैनामा, सत्य किरायेदारी, लीज

श्री श्रीरामचन्द्र मोदी

प्रा. नं. 1/

श्री श्रीरामचन्द्र मोदी

02/02/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



5

आदि करे उससे प्रथमपक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। उस पर द्वितीयपक्ष ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रथमपक्ष के इस्तेदुवा को कबूल व मंजूर कर लिया लिहाजा पक्षकारण स्वस्ववित्त प्रसन्न मन से बिना किसी दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क से प्रथमपक्ष जमीन मालिक व द्वितीयपक्ष डेवलपर्स अपने वारिसानों व कायम मुकामानों के साथ अखिलिखित शर्तों व नियमों के आधार पर एक दूसरे को शरयतों से पाबंद करते व होते हैं:-

01. यह कि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष डेवलपर्स भवन निर्माता को प्लाट को विकसित कर भवन निर्माण करने की अनुमति देते हुए एकरारनामा आज बिल्डर्स एग्जिमेन्ट कर रहा है एवं आज की तारीख तक किसी भी प्रकार का टैक्स बकाया होगा तो यह प्रथमपक्ष को देना होगा।

अभि रणजित सिंह
M. S. S. S.
[Signature]
[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




C 129943

02. यह कि द्वितीयपक्ष अग्रलिखित कार्यों का जिम्मेदार होगा :-


अ:- यह कि द्वितीय पक्ष भवन निर्माण में लगाने वाले सम्पूर्ण रकम को स्वयं या मार्फत वित्त संस्था से उक्त प्रोजेक्ट पर अपने दर हिस्से आने वाले 58 प्रतिशत को वित्त पोषित करा ले, यदि द्वितीय पक्ष वित्त संस्था के लोन को समय से अदा करने में असमर्थ रहेगा या किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त वित्त संस्था को यह अधिकार होगा कि वह अपने ऋण की अदायगी द्वितीय पक्ष के दीगर जायदाद से वसूल करेगा, इसमें प्रथम पक्ष का कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा।

ब:- यह कि भवन निर्माण द्वितीयपक्ष अपनी तरफ से वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग आदि विभागों


अग्रिम (अग्रिम) से


अग्रिम (अग्रिम) से





अग्रिम (अग्रिम) से

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



7

से स्वयं अपने खर्च पर सम्पूर्ण काबूनी कार्यवाही आदि निष्पादित करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी। जिसके काबूनी कार्यवाही आदि हेतु प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष का सहयोग करेगा।

स:- यह कि वी०डी०ए० द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार द्वितीयपक्ष प्रत्येक तल पर 58 प्रतिशत निर्मित व आनुपातिक भूमि व आनुपातिक रकबा के हकदार होंगे, एवं प्रथमपक्ष प्रत्येक तल पर 42 प्रतिशत के निर्मित व आनुपातिक भूमि के हकदार होंगे। अगर भविष्य में विल्डर स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त जो भी निर्माण होगा, उस स्थिति में वी०डी०ए० कम्पाउण्ड (तवान) इत्यादि खर्च द्वितीयपक्ष करेगा।

श्री ००१५५५५५५५

Atk-2018

[Signature]

काच बंधु

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



C 129941

03. यह कि निर्माण कार्य में द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण रकम लगावेगा व भवन विकसित करके सम्पूर्ण सुविधा अपने हमराहियान को उपलब्ध करावेगा तथा समस्त मजदूर निर्माण सामग्री आदि के रकम से प्रथमपक्ष को कोई भी वास्ता रुवाह सरोकार न होगा।
04. यह कि मौजूदा समय में जायदाद मजदूर के भू-भाग पर प्रस्तावित भवन में विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप भवन निर्मित होना विशिष्ट हुआ एवं कार पार्किंग व अन्य जरूरी बातों की पूर्ति उपरोक्त के अतिरिक्त पार्किंग स्थल बनाकर किया जावेगा, जिस पर प्रथमपक्ष द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से के हकदार होंगे।

आर.के. रामचन्द्र कोठ

A. K. Singh

[Handwritten signature]

सत्यमेव जयते



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551435

9

05. यह कि भवन निर्माण के पश्चात् निर्मित भवन के छत का प्रयोग दोनों पक्ष सिर्फ जल संयोजन आदि जरूरी उपयोगों के लिए करेंगे तथा शेष छत कामन होगी।
06. यह कि पक्षगण अपने-अपने अंशों का प्रयोग चाहे तो स्वयं करें या अपने-अपने नामिनियों को अपने-अपने हक अंशों पर काबिज दखील कराकर करावें, उससे किसी पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा तथा दोनों पक्षों को अपने-अपने हिस्से का रजिस्ट्री कराने का पूरा अधिकार होगा तथा विक्रय मूल्य वसूल करने के अधिकृत होंगे।
07. यह कि पक्षगण या उनके नामिनी भवन मजकूर के कामन पैसेज, गैलेरी व सीढ़ी या अपने-अपने अंशों के भवन में आने-जाने का रास्ता या भवन के अनिर्मित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण आदि कायम नहीं करेगा अन्यथा वह बातिल व नाजायज होगा।

अ. के. उमराव मोर
[Signature]
[Signature]
[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

AF 551436

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10

08. यह कि पक्षगण को यह हक है कि वे अपने-अपने हिस्से में आने वाले निर्मित व आनुपातिक भूमि का बैनामा सट्टा आदि अपने हस्ताक्षर से तहरीर करें एवं कागजात सरकारी व माल में अपना-अपना नाम दर्ज कराये, इसमें किसी पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा।
09. यह कि द्वितीयपक्ष निर्माण में प्रथमपक्ष के 42 प्रतिशत हिस्से में सूना, वायरिंग व फर्शमय कामर्शियल मार्बल, सीवर लाईव, खिड़की, दरवाजा, सभी फर्नीसिंग के साथ कराकर प्रथमपक्ष के हवाले करेगा एवं प्रथमपक्ष का भाग जैसे अनुपात मंजिल अव्वल में व मुताबिक, नक्शा निर्मित होता जाएगा, द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष का कब्जा दखल करा देगा।

3-10-11 राम प्रसाद मोहन

At the end

At the end

At the end



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551401

11

10. यह कि द्वितीयपक्ष अनुबन्ध के विलेख के अनुसार प्राप्त अपने अंश का निर्माण व अन्तरण जिस अनुपात में करेगा, उसी अनुपात में प्रथमपक्ष के हक का निर्माण कराकर पहले प्रथमपक्ष को अध्यासित करायेगा। द्वितीयपक्ष के द्वारा उपरोक्त शर्तों के तहत जाने वाले सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रथमपक्ष किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।
11. यह कि सीडीओ के द्वारा मैप पास होने के पश्चात 36 माह के अन्दर द्वितीयपक्ष बहुमंजिली इमारत का निर्माण करा देगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में 6 माह का ग्रेस पीरिएड भी दिया जायेगा।
12. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी आकस्मिक घटना के तहत द्वितीयपक्ष किसी बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थ हो जाय

अमर राम प्रसाद शर्मा
—
[Signature]
[Stamp]
[Stamp]
[Stamp]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551416

12

तो उस दशा में द्वितीयपक्ष के वारिसान को यह हक है कि वे अपूरे निर्माण कार्य को स्वयं या किसी अन्य के माफत विलेख मौजूदा के तहत कार्य पूर्ण कराकर निर्धारित अनुक्रमों के अंशों के तहत हिस्सा प्राप्त करें।

13. यह कि द्वितीयपक्ष निर्माण कार्य के सम्पादनार्थ अपनी तरफ से मजदूर, इंजीनियर, सह टीकेदार या पार्टनर आदि नियुक्त करके उससे कार्य कराने का पूर्ण अधिकार रखते है, जिसमें प्रथमपक्ष को कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही उसके जरिए किये गये कार्य के लिए प्रथमपक्ष जिम्मेदार होगा।
14. यह कि यदि द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथमपक्ष की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 553250

13

की कानूनी अड़चन पैदा कर दे, जिस कारण द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण करना सम्भव न हो सके या उस वक्त के काबिज हकदारों को किसी प्रकार की असुविधा हो या काबिज हकदारों से उनका हक निकल जाए, ऐसी परिस्थिति में प्रथमपक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामले को अपने हक से या तो रूपया ले देकर सुलह समझौता कर विवाद का निस्तारण करें अन्यथा प्रथमपक्ष उस वक्त के काबिज होने वाले हकदारों को क्षतिपूर्ति बाजार दर के हिसाब से मय ब्याज के साथ रूपया अदा करें। इससे द्वितीयपक्ष का वास्ता या सरोकार न होगा।

15. यह कि मौजूदा अभिलेखों में पक्षगणों के बीच सामान्य अनुबन्ध बशकल डेवलपर्स विलेख एवं सम्पूर्ण अधिकार अलावा मालिकाना के

अपने सम्पत्ति को

अपनी

[Signature]

जारी म. 15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 553263

14

रूप में तहरीर हो रहा है। जिसके अनुसार द्वितीयपक्ष निर्मित होने वाले भवन में अपने हिस्से में आये प्रतिशत में निर्मित व आनुपातिक भूमि रकबा के पूर्ण हक वावत करने मुन्तकिल से प्राप्त कर रहा है एवं उसी रूप में प्रथमपक्ष मुताबिक नक्शा अपने हिस्से में आये प्रतिशत का हक प्राप्त करेगा।

16. यह कि प्रस्तावित भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्रथमपक्ष अपने अंश के निर्मित हिस्से में आने वाले 42 प्रतिशत के पानी बिजली, भवनकर, जलकर इत्यादि का चार्ज स्वयं वहन करेगा एवं द्वितीयपक्ष अपने हिस्से में आने वाले 58 प्रतिशत के भाग का अर्च स्वयं वहन करेगा।

3/12/11 रामप्रसाद मोहन

—
M. K. Singh

[Signature]

रामप्रसाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 553262

15

17. यह कि किन्हीं कारणोंवश प्रश्नगत सम्पत्ति पर द्वितीयपक्ष की गलती से निर्माण नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो भी खर्च हुआ होगा, उस खर्च का जिम्मेदार द्वितीयपक्ष होगा।
18. यह कि किन्हीं कारणोंवश प्रश्नगत सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष की गलती से निर्माण नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो भी खर्च हुआ होगा, उस खर्च का जिम्मेदार प्रथमपक्ष होगा।
19. यह कि प्रस्तावित भवन के निर्माण के पश्चात् जब तक प्रस्तावित भवन के अध्यासियों की हाऊसिंग सोसाईटी अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक उक्त भवन के बाहरी व कामन पैसेज एवं अन्य कामन अंश की देखरेख, सफाई व्यवस्था, सामान्य मरम्मत, बुना कली, दरवान एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्षगण संयुक्त रूप से अंश मुताबिक निर्वहन करेंगे।






अ. 13 17/11/15 को
 अ. 13/11/15
 अ. 13/11/15
 अ. 13/11/15



AF 551467

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16

20. यह कि प्रस्तावित भवन के 58 प्रतिशत निर्मित अंश व आनुपातिक भूमि को विक्रय करने, विक्रय हेतु अनुबन्ध करने, किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रथमपक्ष द्वारा इस विलेख के माध्यम से द्वितीयपक्ष को दिया जा रहा है एवं 42 प्रतिशत अंश को विक्रय करने, विक्रय हेतु अनुबन्ध करने, किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। निर्मित होने वाले भवन के निर्मित उपयोगी एकल क्षेत्रफल व चौहद्दी तल के अनुसार पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दर्शाया जायेगा। प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को दिया गया विक्रय सम्बन्धी अधिकार प्रोजेक्ट समाप्ति के पहले निरस्त नहीं किया जायेगा।

अ. गी. ११२२११६ को म

अ. अ. अ. अ. अ. अ.

Handwritten signature

रामेश्वर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551468

17

21. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के मध्य में प्रथमपक्ष के वारिसान या प्रथमपक्ष से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसी अड़चन पैदा कर दी जावें। जिससे कानूनन व स्वभाविक रूप से द्वितीयपक्ष द्वारा मौजूदा विलेख से सम्बन्धित किए जा रहे निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाये एवं उस विवाद को हल किये बगैर द्वितीयपक्ष द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य को पूर्ण होना मुमकिन न रह जावे या उस विवाद या पचहों में पड़े बिना आपसी सहमति या लेन-देन कर उस विवाद को उस व्यक्ति या संस्था से सुलह समझौता कर प्रथमपक्ष सर्वप्रथम निपटारा करेगा अन्यथा द्वितीयपक्ष को यह हक होगा कि उस उत्पन्न विवाद को हल कर मध्यस्थों के समक्ष लाफलासी सुलह-समझौता करे तवा उस पर खर्च हुए रुपये को प्रथमपक्ष के दर आए हिस्से में से मोजर कर लेवेगा

3. श्री रामप्रसाद कोर्न
 अ. क. म. डी. ए.
 श्री अ. क. म. डी. ए.
 श्री अ. क. म. डी. ए.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES



INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 553264

18

एवं विवाद के दौरान का समय भवन निर्माण होने वाले निर्धारित समय में आंकलन नहीं किया जायेगा।

22. यह कि प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य इस इशकारनामों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद का निस्तारण सम्मिलित रूप से नामित आरबिट्रेटर द्वारा किया जायेगा। ऐसे किसी आरबिट्रेटर की स्थिति में आरबिट्रेशन एण्ड रिकन्सिलिएशन एक्ट 1996 लागू होगा।

23. यह कि नगर निगम व तहसील से पेपर को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की है जो स्वयं अपने खर्च से दुरुस्त करायेंगा व नक्शा पास कराने का सारे कार्य द्वितीयपक्ष अपने खर्च से स्वयं करेगा। प्रथमपक्ष मानचित्र स्वीकृत कराने में द्वितीयपक्ष का सहयोग करेगा।

रवि रामप्रसाद शर्मा
A.A. Saini
A. A. Saini
A. A. Saini
A. A. Saini



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551479

19

24. यह कि इस एग्जीमेण्ट के बाद अगर कोई किन्तु या तख छूट जाती है तो उभयपक्ष 100/- रुपये के स्टाम्प पर हस्ताक्षर बनाकर लाकलामी कर लेवेगे और वह एग्जीमेण्ट इस एग्जीमेण्ट का एक अंश होगा और उसके साथ पत्नीय होगा।
25. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा नक्शा पास कराने के उपरान्त पक्षगण अपने अंश के मुताबिक हिस्से का निर्धारण करके एक पूरक विलेख तहरीर करके पंजीकृत करा लेगे। यदि इस एग्जीमेण्ट में कोई बात छूट जाती है, तो उसके बाबत भी पूरक विलेख पक्षगण तहरीर करके पंजीकृत करा लेगे, जो इस एग्जीमेण्ट का भाग होगा।
26. यह कि प्रथमपक्ष पूर्व में हस्ताक्षर करते थे, लेकिन वर्तमान में लकवाग्रस्त होने की वजह से हस्ताक्षर बनाने में असमर्थ है, इस वास्ते दरतावेज हाजा पर बिशानी अंगूठ लगा रहे हैं।

हजाजे (उत्तर प्रदेश)

19/11/2019

[Handwritten signature]

02/11/2019



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551439

20

27. यह कि प्रथमपक्ष के दो पुत्र जगन्नाथ व लालबहादुर हैं। उक्त दोनों पुत्रों को उपरोक्त आराजी में आधे-आधे का बंटवारा प्रथमपक्ष द्वारा कर दिया गया है, जिस पर दोनों पुत्र अपने-अपने अंश पर काबिज दखील चले आ रहे हैं। एक पुत्र के अंश में आधे हिस्से से दूसरे पुत्र का कोई मतलब व सरोकार नहीं है व न भविष्य में होना। हालांकि आपसी बंटवारा के माध्यम से सम्पूर्ण जायदाद में हिस्सा अलग-अलग किया जा चुका है, परन्तु चूंकि सरकारी अभिलेखों में प्रथमपक्ष का नाम ही बतौर खातेदार अंकित है, इस वजह से लालबहादुर के हिस्से में आये उपरोक्त रकबा को प्रथमपक्ष द्वारा एजीजेण्ट द्वितीयपक्ष के हक में किया जा रहा है, परन्तु भविष्य में द्वितीयपक्ष की सुरक्षा हेतु लालबहादुर को बतौर पुष्टिकर्ता पक्ष

अरवि कुमार मोहन

AF 551439

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551440

21

दस्तावेज हाजा में शामिल किया जा रहा है। दस्तावेज हाजा में उल्लिखित सम्पत्ति में प्रथमपक्ष के बड़े पुत्र अमरनाथ को मिली सम्पत्ति का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। अमरनाथ का दस्तावेज हाजा से व उसमें उल्लिखित सम्पत्ति से तथा उसमें शामिल किसी भी शर्त से न आज कोई वास्ता है, न भविष्य में होगा।

28. यह कि यदि द्वितीयपक्ष 36 माह + 6 माह ग्रेस पीरियड के बाद भी बिलिडिंग कम्प्लीट नहीं करता है तो उस स्थिति में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को 10,000/- रुपया प्रतिमाह हर्जा अलग से देगा।
29. यह कि विवर्णित सम्पत्ति का सट्टा किसी व्यक्ति के हक में नहीं हुआ है।

अमरनाथ रामप्रसाद शर्मा

अमरनाथ

अमरनाथ

अमरनाथ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 551444

22

30. यह कि द्वितीयपक्ष आज जस्थि डी0डी0 नम्बर 677922 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा महमूरगंज, वाराणसी दिनांकित 24.01.2013 वास्ते मुबलिया 21,00,000/- रूपये व बगद मुबलिया 4,00,000/- रूपये कुल मुबलिया 25,00,000/- रूपये प्रथमपक्ष को बतौर जमानत धनराशि केरूप में अदा किया है, जो निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जायेगा।

31. यह कि विवर्णित सम्पत्ति नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है। विवर्णित सम्पत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नहीं है। उभय पक्ष भारत के नागरिक है।

31E (142/11) मो
A.H.-Dil
[Signature]
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 670495

23

32. यह कि भवन का निर्माण आर०सी०सी० ढांचे के तहत होगा जिसके खिड़की दरवाजे की चौखट लकड़ी की होगी। फर्श टाइल्स या मार्बल का होगा। किचन का प्लेटफार्म ग्रेनाइट का होगा, बाथरूम एक साधारण एक कमोड होगा एवं फ्लैट में पार्किंग, बोरिंग, जनरेटर, लिफ्ट आदि सुविधाएं होंगी। बाथरूम में सभी फिटिंग स्टैंडर्ड ब्राण्डेड कंपनी के सामानों से होंगी एवं पाइप वर्क का होगा।।
33. यह कि विलेख में अन्तर्निहित सम्पत्ति खुला भूखण्ड है, जिस पर किसी प्रकार का कोई तामीरत नहीं है और प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को बशकल खुली अवस्था में ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए उपलब्ध करायी गयी है, जो जिलाधिकारी द्वारा विहित

अ. नि. (अ. प्र. ६/६/०६)

अ. नि. प्र. ६/६/०६

[Handwritten signature]

अ. नि. प्र. ६/६/०६



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

504391

25

विवरण सम्पत्ति जिसके बाबत मौजूदा विलेज तहरीर हो रहा है

आराजी नम्बर 445 रकबा 4 बिस्वा यानी 5440 वर्गफीट याबि 505.57 वर्गमीटर स्थित मौजा फकरमत्ता, वार्ड नमवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी जो खुली भूमि है और उस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण अवस्थित नहीं है, जिसे संलग्न बक्शा में लाल तिरछी लकीरों से जाहिर किया गया है, जिसकी चौहद्दी विम्नलिखित है:-

- पूरब - वाउण्डी लिटिल फलावर
- पश्चिम - जुज आराजी प्रथमपक्ष व रास्ता 5 फीट चौड़ा
- उत्तर - जुज आराजी बरायन मौर्य
- दक्षिण - जुज आराजी बहिस्सा अमरनाथ

म. नि. १०२५५५५५५५

म. नि. १०२५५५५५५५

[Handwritten Signature]

म. नि. १०२५५५५५५५



BG 593212

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तहरीर तारीख:- 11.02.2013 ई०

साक्षीगण:-

1. पूरा नाम सुरेश कुमार शर्मा
 पिता का नाम श्री. राम प्रसाद शर्मा
 पूरा पता N 10153.6-3, गान्धारी - काशी (उ.प्र.)

2. पूरा नाम श्री. सुरेश कुमार शर्मा
 पिता का नाम श्री. राम प्रसाद शर्मा
 पूरा पता उत्तरी सीमा, गान्धारी, काशी

31.02.2013 को
 AKA-Dal
 श्री सुरेश कुमार शर्मा
 श्री. सुरेश कुमार शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 756160

27

मतदाता:-

[Signature]
चन्द्रमा प्रसाद, एडवोकेट
कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

दाईपकर्ता:-

[Signature]
रजनीश कम्प्यूटर्स, दुर्गा नम्बर 5
कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

73AB 532989

नक्शा नजरी

आराजी नम्बर 445 रकबा 4 बिस्वा यानी 5440 वर्गफीट यानि 505.57 वर्गमीटर स्थित
मौजा ककरमल्ला, वार्ड नगवां, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

जुज आराजी नरायन मौर्य



बाउण्ड्री लिटिल पलावर



जुज आराजी बहिस्ता अमरनाथ

Handwritten signatures and fingerprints. One signature is clearly 'Rajendra'. There are several fingerprints, including a thumbprint and a palm print.

Drawn By: Rajendra Kumar Singh, 10/10/2018, 10:10 AM, 10/10/2018, 10:10 AM, 10/10/2018, 10:10 AM

- रास्ते की स्थिति - १२/१५/१५
- निर्माण की स्थिति -
- 3. निर्माण की प्रकृति (व्यवसायिक / आवासीय) -
- 4. दिशा सूचक -
- 5. वृक्षों/कुओं/बाउण्ड्री वाल/गेट आदि की स्थिति कुछ नहीं

सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का संगीन फोटोग्राफ



1. प्रथम पक्ष - हस्ताक्षर अरुण कुमार
 2. द्वितीय पक्ष - हस्ताक्षर अरुण कुमार
 3. तृतीय पक्ष - हस्ताक्षर अरुण कुमार
 3. प्रतिफल/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर - ११००
 4. सम्पत्ति का विवरण - आवासीय प्लॉट (कैम्प/पार्किंग) १२/१५/१५ (कैम्प/पार्किंग) १२/१५/१५ (कैम्प/पार्किंग) १२/१५/१५
- चीहददी -
- पूरब - १२/१५/१५
- पश्चिम - १२/१५/१५
- उत्तर - १२/१५/१५
- दक्षिण - १२/१५/१५
6. स्टाम्प देयता को करने वाले अन्य तथ्य १२/१५/१५
 - दिनांक - १२/१५/१५
 - स्थान - १२/१५/१५